सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 45 / 2025

1. कन्हैयालाल पिता माधू जी हजूरी(दरोगा) निवासी मण्डावरी तह. बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

2.किशनसिंह पिता मदनसिंह जी हजूरी(दरोगा) निवासी मण्डावरी तहसील बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.हीरालाल पिता रूपा जी जाति धाकड़ निवासी मण्डावरी तहसील बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

2.श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

3.श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री अनिल शर्मा
अप्रार्थी अधिवक्ताः–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा।

निर्णय तिथिः–23.04.2026

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 रा.टि.एक्ट

आज यह पत्रावली प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 रा.टि.एक्ट–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि

यह कि प्रार्थीगण / वादीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इतने ठोस एवं सत्याधारित हैं जो अवश्य ही वादीगण के पक्ष में डिक्री होगा किन्तु वादपत्र के निर्णय होने में निश्चित ही समय लगेगा इसलियें विपक्षीगण को वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

यह कि हम प्रार्थीगण के स्वर्गीय दादा जी भूरा पिता जगन्नाथ जी दरोगा निवासी मण्डावरी तहसील बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़ के नाम पर जमाबंदी संवत 2031 से 34 में अंकित खाता संख्या 47 में अंकित कृषि आराजी संख्या 288, 396, 398, 399, 411, 417, 1037, 1136, 1173, 1181, 1229, 1232, 1235, कुल कीता 13 कुल रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा पैतृक कृषि आराजीयात खातेदारी में अंकित थी जिस पर प्रार्थीगण के दादा जी भूरा पिता जगन्नाथ जी दरोगा निरंतर निर्बाध रूप से काबीज हो काश्त करते चले आ रहे थे।

यह कि प्रार्थीगण का पारिवारीक सजरा (वंशवृक्ष) निम्न प्रकार हैरू–

भूरा पिता जगन्नाथ जी फौत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

मनोहरसिंह माधु विजयसिंह मदनसिंह शोभाबाई

पुत्र फौत पुत्र फौत पुत्र फौत पुत्र फौत पुत्री फौत

लाडबाई पुत्री लाली पुत्री सीताबाई पुत्री भंवरीबाई पुत्री

शांतिबाई पुत्री प्रेमबाई पुत्री सुगनाबाई पुत्री लालीबाई पुत्री

कान्ताबाई पुत्री गोपाल पुत्र भागुतिबाई पुत्री अलोलबाई पुत्री

बृजकंवर पुत्री गोवर्धन पुत्र धापुबाई पुत्री सायरीबाई पुत्री

इन्द्राकंवर पुत्री फौत कन्हैयालाल पुत्र विमलाबाई पुत्री गोरीबाई पत्नी फौत

वादी सं. 1 धीसीबाई पत्नी भवानीसिंह

ज्वालासिंह पुत्र नन्दुबाई पत्नी फौत भगवानसिंह पुत्र देवीसिंह पुत्र

जेतु कंवर पत्नी नन्दसिंह पुत्र फौत छोटूसिंह पुत्र

रतनसिंह पुत्र कमलेशसिंह पुत्र

भुलाकुंवर पुत्री किशनसिंह वादी 2

गंगाबाई पत्नी

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित समस्त कृषि आराजीयात हम प्रार्थीगण के स्वर्गीय दादा जी भूरा पिता जगन्नाथ जी दरोगा निवासी मण्डावरी के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी और जिसका उपयोग उपभोग भी हम प्रार्थीगण के दादाजी वर्षों से करते आ रहे थे । उक्त कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि आराजीयात में से आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 है। कृषि भूमि को हडपने की नियत से विपक्षी संख्या 1 ने हम प्रार्थीगण के दादाजी भूरा पिता जगन्नाथ दरोगा के नाम का एक फर्जी व कूटरचित बिकावनामा गलत एवं विधि विरुद्ध तरीके से अपने नाम का तैयार कर राजस्व कर्मचारियों व हल्का पटवारी से मिलीभगत कर राजस्व रेकार्ड में उक्त फर्जी व कूटरचित बिना रजिस्टर्ड बिकावनामा के आधार पर जरिये नामांतरण संख्या 100 दिनांक 28/7/1976 को गलत तरीके से अमल दरामद करा लिया। जबकि उक्त वर्णित आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 है। भूमि पर हमारे दादाजी भूराजी एवं इनके स्वर्गवास पश्चात उक्त आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 है। भूमि हम प्रार्थीगण के पिता माधु व मदनसिंह को जरिये विरासत एवं पारिवारीक मौखिक बंटवाडा अनुसार 1/2, 1/2 हक–हिस्सा से प्राप्त हुई जिस पर निरंतर कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण के पिता एवं उनके स्वर्गवास पश्चात हम प्रार्थीगण व हमारे परिवार का कब्जा काश्त निरंतर निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 है. कृषि भूमि पर हम प्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हक–हिस्सा अनुसार वर्तमान में मौके पर काबीज हो शांति पूर्वक एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि आराजी जो फर्जी व कूट रचित अन रजिस्टर्ड बिकानाम के आधार पर गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हो जाने

मात्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने व कब्जा प्राप्त करने के लिये एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट का अनुमान हीरालाल बनाम शांतिलाल वगैरह का न्यायालय श्रीमान आपके यहां दिनांक 7/4/2025 को प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 46/2025 होकर उक्त प्रार्थनापत्र की न्यायालय श्रीमान के यहां बिना हम प्रार्थीगण को सुने न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 5/5/2025 को निर्णित कर पालनार्थ हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ को प्रेषित किया गया और श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ के आदेश दिनांक 7/5/2025 के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बेगूँ व हल्का पटवारी मंडावरी ने दिनांक 1.6.2025 को उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. की पत्थरगढ़ी की पालना करने गये लेकिन मौके विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर हम प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा स्वामित्व होने के कारण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की पालना नहीं हो सकी जिसका हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त आराजी का मौके पर पर्चा मौका भी बनाया गया एवं इनके द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर उक्त आराजी पर 1/2, 1/2 हक- हिस्से पर हम प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा होने का अंकन भी पाया गया और उक्त दिनांक को विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर होना नहीं पाया गया है। तब हम प्रार्थीगण को यह जानकारी में आया कि उक्त आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने फर्जी व कुटरचित अन रजिस्टर्ड बिकावनामा के आधार पर गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियो व हल्का पटवारी से आपसी मिलीभगत कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इस पर हम प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पुनः हमारे नाम दर्ज करवाने के लिये कहा तो विपक्षी संख्या 1 ने यह धमकी दी कि जमीन तो मेरे नाम पर दर्ज हो गई हैं अब मैं इस जमीन को बेचान कर खुर्द-बुर्द करूंगा। इस पर हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की नकल जमाबंदी व नामांतरण की नक्ले प्राप्त की तब हमें जानकारी में आया। इसलिये उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. भूमि के राजस्व रेकार्ड में अंकित विपक्षी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर हम प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की घोषणा किये जाने हेतु हम प्रार्थीगण को उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि दिनांक 20/7/2025 को विपक्षी संख्या 1 हीरा पिता रूपा धाकड़ ने जबरन हम प्रार्थीगण की उक्त पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि भूमि पर जबरन प्रवेश कर हम प्रार्थीगण की खडी मक्का एवं मूंगफली की फसल को नष्ट करने पर उतारू हो गया और हम प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त जमीन राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम पर दर्ज है और इस कृषि भूमि को जबरन बेचान कर खुर्द-बुर्द करूंगा यदि विपक्षी संख्या एक ने प्रार्थीगण की उक्त वर्णित पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की कृषि आराजी को किसी प्रकार से रहन, बेचान कर खुर्द-बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व के हक-अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेंगे एवं व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढ़ेगी और प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना संभव नही होगा क्योंकि विपक्षी संख्या एक को प्रार्थीगण की उक्त पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की कृषि भूमि के स्वतंत्र कब्जे काश्त की किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नही है और न ही

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

विपक्षी संख्या एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में उसे किसी प्रकार की हानि होगी इस प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि विपक्षी संख्या एक को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि विपक्षी संख्या एक प्रार्थीगण की उक्त पुश्तैनी व कब्जे स्वामित्व की आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि भूमि को न तो किसी प्रकार से बेचान, रहन, दान आदि तरीके से हस्तांतरित करें एवं न ही प्रार्थीगण के स्वतंत्र कब्जे काश्त की प्रार्थनापत्र वर्णित कृषि आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वंय करे एवं न ही अपने परिवार के सदस्य, नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावे।

3. यह कि अन्य कारण वक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मूल वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी संख्या एक मौजा ग्राम मण्डावरी प.ह. मण्डावरी तहसील बेगूँ की प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 हे. कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, दान तरीके से हस्तांतरित नहीं करें एवं प्रार्थीगण के स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वंय करे एवं न ही अपने परिवार के सदस्य, नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 0.2510 है0 अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी है। जिस पर अप्रार्थीगण का दिनांक 28.07.1976 कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। चूंकि अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है एवं अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार की खातेदारी आराजी पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र वास्ते धोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त उक्त आराजी में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की पैतृक कब्जे काश्त की आराजी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 भूमि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88–188 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 भूमि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88–188 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए आराजी संख्या 417 रकबा 0.2510 अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88/188 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा कम प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा कम प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है ।

आज 23.04.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़